

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(25)नविवि/सामान्य/2014 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 06 JUL 2023

आदेश

राज्य की तरफ से शहरी नियोजन में अच्छी प्रथाओं व तत्परता पर प्रस्तुति दिये जाने हेतु दिनांक 13-14 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले दो दिवसीय "National Conclave of Urban Planning, Good Practices and Readiness" में भाग लिये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है:-

Sr. No.	Officer's Name	Designation	Place of Posting	Mobile No
1.	Mr. Sandeep Dandwate	CTP (Rajasthan)	Rajasthan, Jaipur	9413350789
2.	Mr. Vinay kumar Dalela	CTP (Director Town Planning)	JDA, Jaipur	9414189623
3.	Mr. Rajesh Kumar Tulara	ACTP	(West/ZSP/Schemes), Jaipur	9828506399
4.	Mr. Subhash Chand Sharma	ACTP	JODA, Jodhpur	9414073322
5.	Mr. Ravi Rai Verma	ACTP	Bida, Bhiwadi	8764175692
6.	Mr. Shashikant	ACTP	Nagar Nigam, Jaipur	9829316619
7.	Mr. Mukesh Chand Mittal	STP	Ajmer Zone, Ajmer	9414058884
8.	Mr. Arvind Singh Kanawat	STP	NCR, Jaipur	9929990030
9.	Mr. Puneet Sharma	STP	ZSP, Jaipur	9414242995
10.	Mr. Bhupendra kumar.	STP	Jodhpur Zone, Jodhpur	7742404491
11.	Mr. Ankur Dadheech	STP	Jaipur Zone, Jaipur	8447119125
12.	Mr. Anupam Sharma	STP	Kota Zone, Kota	9587595555
13.	Mr. Rakesh Matwa	STP	Bikaner Zone, Bikaner	9785645543
14.	Mr. Mahaveer Singh Meena	STP	UIT, Kota	9414272388
15.	Mr. Nitin Nehra	DTP	UDH, Jaipur	9828529656
16.	Mr. Arpit Sancheti	DTP	JDA Jaipur	9829872121
17.	Mr. Anuj Kumar Fagna	DTP	DLB, Jaipur	9636555111
18.	Mr. Ajay Goyal	DTP	Nagar Nigam (Greater), Jaipur	9829074455

उपरोक्त अधिकारियों को दो दिवसीय "National Conclave of Urban Planning, Good Practices and Readiness" में भाग लिये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी श्री.....
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम